# 30–राज्य सम्पत्ति विभाग

## संवर्ग : व्यवस्थाधिकारी/वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी संवर्ग

**वित्त विभाग** के पत्र संख्या 218/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी/वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के वेतनमान उच्चीकरण का प्रकरण समिति को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि व्यवस्थाधिकारी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 को उच्चीकृत कर वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 किया जाय तथा वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 6600 किया जाय। उच्चीकरण हेतु यह आधार दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त पदों का वेतनमान उच्चीकृत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 18.3.2011 की उपलब्ध कराई गई छायाप्रति के अवलोकन से इंगित हुआ है कि वेतन समिति के दसवें प्रतिवेदन की संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों की अर्हताएं, शर्तों सहित उच्चीकृत वेतन अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गई है। तद्क्रम में उत्तर प्रदेश में जारी शासनादेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। साक्ष्य के अवसर पर अवगत कराया गया कि वर्तमान में व्यवस्थापक पद पर 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 राज्य में वेतन उच्चीकरण के साथ इस पद पर शत–प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था हुई है।

उल्लेखनीय यह भी है कि राज्य में विधानसभा आदि में भी सचिवालय से समतुल्यता आधार पर पदों के वेतन समान रखने की व्यवस्था प्रचलित है। अतः राज्य सम्पत्ति विभाग के इन पदों के वेतन उच्चीकरण एवं अन्य शर्तों में परिवर्तन का प्रभाव सम्बन्धित अन्य विभाग/संगठन में भी लागू किये जाने की मांग आयेगी। साथ ही 4800 ग्रेड वेतन का स्तर प्रस्तावित वेतनमान में छूट जाता है।

**यह ज्ञातव्य है कि वेतन के सम्बन्ध में राज्य द्वारा लागू किये गये सिद्धांत अनुसार दूसरे राज्य के आधार पर पदों का वेतनमान नियत करने/उच्चीकृत या संशोधित करने की व्यवस्था अनुमन्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा चयनित (Selective) आधार पर कतिपय मामलों में उत्तर प्रदेश के आधार पर वेतन उच्चीकरण किया गया है। अतः उ0प्र0 के आधार पर राज्य में पदों के वेतन उच्चीकरण सम्बन्धी प्रकरणों पर एक पैकेज के रूप में गुणावगुण को देखते हुए सम्यक नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह चूंकि वेतन विसंगति प्रकरण नहीं है अतः इस पर संस्तुति देना समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है।**

# 31–रेशम विभाग

**संवर्ग : तकनीकी फील्ड स्तरीय**

**अधीनस्थ रेशम कर्मचारी सेवा संघ, उत्तराखण्ड तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड** द्वारा प्रदर्शक (रेशम) ग्रेड पे 1900 को ग्रेड पे 2400 तथा निरीक्षक (रेशम) वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2800 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200 में उच्चीकृत किये जाने की मांग की गई है। मांग का आधार यह लिया गया है कि अन्य विभागों में प्रदर्शक (रेशम) के समान योग्यता के पदधारकों को ग्रेड पे 2400 दिया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य विभागों के निरीक्षक को ग्रेड वेतन 4200 दिये जाने के आधार पर निरीक्षक (रेशम) का वेतन उच्चीकरण चाहा गया है।

**उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं राज्य में लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का मान्य नहीं है। यह मात्र वेतन उच्चीकरण के मामले हैं तथा किसी प्रकार की वेतन विसंगति के प्रकरण नहीं है। अतः प्रकरण समिति को संदर्भित शर्तों अनुसार समिति द्वारा विचारणीय नहीं है।**

# 32–राजस्व विभाग

## संवर्ग : राजस्व संग्रह अमीन संवर्ग 'ग'

**वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7** के माध्यम तथा **उत्तराखण्ड राजस्व संग्रह अमीन संघ के माध्यम से** राज्य संग्रह अमीन वेतन 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 का वेतन उच्चीकृत कर 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 करने का प्रकरण संदर्भित हुआ है। विभागीय सचिव द्वारा भी ग्रेड वेतन 2800 की संस्तुति की है।

**उत्तराखण्ड राजस्व संग्रह अमीन संघ** द्वारा निम्नलिखित तालिकाबद्ध विवरण देते हुए अवगत कराया गया है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व संग्रह अमीन, लेखपाल, पटवारी व कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल संवर्ग कार्यरत है व उत्तर प्रदेश के समय से ही राजस्व संग्रह अमीन का वेतनमान राजस्व विभाग के अन्य संवर्गों से उच्च रहा है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में अन्य तीनों संवर्गों का वेतनमान बढ़ाया जा चुका है किन्तु संग्रह अमीन संवर्ग की उपेक्षा की गई है। संघ द्वारा अमीनों का वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 में उच्चीकृत करने की मांग की है।

| वर्ष | वेतनमान राजस्व संग्रह अमीन | वेतनमान पर्वतीय पटवारी/राजस्व उप निरीक्षक | लेखपाल | मिनिस्ट्रीयल कर्मी |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 354–550 | 354–550 | 330–550 | 354–550 |
| 1994 | 975–1660 | 950–1500 | 950–1500 | 950–1500 |
| 1996 | 3200–4900 | 3050–4500 | 3050–4500 | 3050–4500 |
| 2006 | 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 | 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 02.04.2011 से 2800 | 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 मार्च 2014 से 2800 | 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 मार्च 2013 से 2000 |

यह भी बताया गया कि राजस्व परिषद से प्रस्ताव शासन को शैक्षिक योग्यता बढ़ाने का प्रेषित किया गया है जिस प्रकार अन्य संवर्गों में ग्रेड पे उच्चीकृत करते हुए सेवा नियमावली में भी शैक्षिक योग्यता में भी वृद्धि की गई है।

सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजस्व संग्रह अमीन एवं राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान, भर्ती स्रोत, शैक्षिक योग्यता तथा कार्य एवं दायित्व का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराया है:–

| क्र0सं0 | सूचना विवरण का बिन्दु | राजस्व संग्रह अमीन | राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) |
|---|---|---|---|
| 1. | पदनाम | राजस्व संग्रह अमीन संवर्ग 'ग' | राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) संवर्ग 'ग' |
| 2. | वेतनमान | 5200–20200 ग्रेड पे 2000/– | 5200–20200 ग्रेड पे 2800/– |
| 3. | भर्ती का स्रोत | सीधी भर्ती/पदोन्नति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 15 प्रतिशत कलेक्शन चपरासियों की पदोन्नति से तथा 35 | सीधी भर्ती/पदोन्नति पटवारी भर्ती का स्रोत– 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | प्रतिशत सीजन कलेक्शन अमीनों में से | लेखपाल – 75 प्रतिशत सीधी भर्ती 25 प्रतिशत अनुसेवक/चेनमैन से। |
| 4. | शैक्षिक योग्यता | इण्टरमीडिएट | स्नातक |
| 5. | कार्य एवं दायित्व | कलेक्शन मैनुअल के अध्याय–8 में उल्लिखित क्रमांक–46 से 59 तक के कार्य एवं दायित्व का निर्वहन।<br>कलेक्टर द्वारा दैवीय आपदा, निर्वाचन एवं समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का निर्वहन। | राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) द्वारा भूमिलेख नियमावली के भाग–2 अध्याय–2 में उल्लिखित क्रमांक– 21 से 186 तक के कार्य एवं दायित्व का निर्वहन किया जाता है।<br>राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) द्वारा राजस्व क्षेत्रों में पुलिस का अतिरिक्त कार्य सम्पादन किया जाता है जिस हेतु उन्हें अतिरिक्त भत्ते एवं मानदेय दिये जाते हैं। पटवारी का भू–लेख कार्य लेखपाल के कार्य एवं दायित्व के समान ही है। |

सचिव राजस्व ने यह भी सूचित किया है कि राजस्व संग्रह अमीनों के कार्यों–दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 3.9.1994 द्वारा संग्रह अमीन पद हेतु स्वीकृत वेतनमान रू0 950–1500 को दिनांक 01.07.1994 से उच्चीकृत कर रू0 975–1660 अनुमन्य किया गया जबकि तत्समय पटवारी एवं लेखपाल का वेतनमान रू0 950–1500 था। यह भी कहा है कि छठे वेतन आयोग में जहां संग्रह अमीनों का वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 था वही पटवारी/लेखपाल का वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 था। सूचित किया है कि शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा लेखपाल का पदनाम परिवर्तित कर राजस्व उप निरीक्षक मैदानी (लेखपाल) करते हुए शैक्षिक योग्यता स्नातक कर इनका उच्चीकृत वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 अनुमन्य किया गया तथा शासनादेश दिनांक 02 अप्रैल, 2011 द्वारा पटवारी का पदनाम परिवर्तित कर राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) करते हुए शैक्षिक योग्यता स्नातक कर इनका उच्चीकृत वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 अनुमन्य किया गया जबकि राजस्व संग्रह अमीनों का वेतनमान वर्तमान में रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 है। इन सूचनाओं को देते हुए उन्होंने अमीनों का वेतनमान भी राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के वर्तमान वेतनमान के अनुरूप रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 करने की संस्तुति की है।

**यद्यपि उपरोक्त तालिकाओं से यह दर्शित हो रहा है कि राजस्व संग्रह अमीन का वेतनमान अन्य उल्लिखित संवर्गों से समान या उच्च रहा है तथापि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व राज्य में लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती। प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं अपितु वेतनमान उच्चीकरण का है, जिस**

**कारण उपरोक्त प्रकरण वेतन विसंगति के रूप में विचारणीय नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि 1996 से अमीन पद का वेतनमान न्यून हुआ है।**

**संवर्ग : रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग समूह 'ग'**

**वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7** के माध्यम से सन्दर्भित राजस्व विभाग से सम्बन्धित इस प्रकरण में रजिस्ट्रार कानूनगो (वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड वेतन) पद का वेतन उच्चीकृत कर 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 करने की संस्तुति सचिव राजस्व द्वारा की गई है। यह कहा गया है कि शासनादेश संख्या 471, दिनांक 02 अप्रैल, 2011 व 370, दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा क्रमशः राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो) एवं राजस्व निरीक्षक (मैदानी) का वेतन 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 से संशोधित कर 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 का किया गया है और राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) का वेतनमान रजिस्ट्रार कानूनगो के समान हो गये हैं जबकि रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पटवारी/लेखपाल पद से पदोन्नति की व्यवस्था है। यह भी कहा है कि शासनादेश संख्या 447/18(1)/2007 दिनांक 25 जून, 2008 द्वारा रजिस्ट्रार कानूनगो को राजस्व पिरीक्षक के समकक्ष मानते हुए राजस्व निरीक्षक पद के वेतनमान के समान ही रू0 4500–7000 वेतनमान की स्वीकृति की गई है।

राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 02 अप्रैल, 2011 में पटवारी अनुसेवक, पटवारी व राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो) के वेतन उच्चीकृत किये है जिसके अनुसार राजस्व निरीक्षक का वेतन 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 किया गया है। इसी प्रकार शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2014 में राजस्व निरीक्षक (मैदानी) का वेतन उच्चीकृत कर 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 किया गया है। शासनादेश दिनांक 25 जून, 2008 में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों हेतु सुपरवाइजर कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) के समान वेतन रू0 4500–7000 अनुमन्य किया गया है। रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा नियमावली 2011 अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर भर्ती लेखपाल/पटवारी से पदोन्नति के माध्यम होती है। उल्लेखनीय है कि पटवारी/लेखपाल के वेतन शासनादेश दिनांक 02 अप्रैल, 2011/19 मार्च, 2014 द्वारा 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 के समान पर 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 किये गये हैं जिसमें इससे पदोन्नति के पद रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतन भी ग्रेड वेतन 2800 में अपने पोषक पद के समान हो गया है।

**यद्यपि एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना/समकक्षता का सिद्धान्त मान्य नहीं है और कि एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में पदोन्नति की दशा में समान अथवा न्यून वेतनमान पद पर पदोन्नति होना विसंगति नहीं कही जा सकती (जैसा कि पी0सी0एस0 संवर्ग में आई0ए0एस0 संवर्ग में प्रोन्नति की दशा में होता है) तथापि पूर्व में पोषक व प्रोन्नति पद के वेतन में अंतर होने व पटवारी/लेखपाल से एक ओर राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) व दूसरी ओर रजिस्ट्रार**

**कानूनगो पद पर प्रोन्नति होने, पूर्व में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) व रजिस्ट्रार कानूनगो का समान वेतन होने तथा राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 25 जून, 2008 के परिप्रेक्ष्य में सभी पहलुओं व पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतन उच्चीकृत (ग्रेड वेतन 4200 में) करने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।**

**संवर्ग : पटवारी**

**पर्वतीय पटवारी (राजस्व पुलिस सम्वर्गीय कर्मचारी) महासंघ, उत्तराखण्ड** द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का ग्रेड वेतन 2800 एवं पुलिस उपनिरीक्षक का ग्रेड वेतन 4600 होने के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) का ग्रेड वेतन 4600 किये जाने की मांग की है तथा राजस्व निरीक्षक का ग्रेड वेतन 4200 से 4800 तथा नायब तहसीलदार का ग्रेड वेतन 5400 करने की मांग भी प्रस्तुत की गई है। यह कहा है कि राजस्व उपनिरीक्षक पुलिस कार्यों में थाने के भार साधक अधिकारी के कार्यों के साथ–साथ समस्त राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों का भी निर्वहन करता है और इस दृष्टि से समान कार्य हेतु समान वेतन देने हेतु औचित्य होना इंगित किया है। **वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7** के माध्यम भी यह प्रकरण सन्दर्भित हुआ है।

**उल्लेखनीय है कि राज्य कार्मिकों के सम्बन्ध में समता समिति द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है। विगत समय राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 02 अप्रैल, 2011 द्वारा पटवारी पद की शैक्षिक अर्हता में संशोधन करते हुए पदनाम परिवर्तन सहित वेतनमान उच्चीकृत किया गया। इस संशोधन के फलस्वरूप प्रोन्नति वाले विभिन्न स्तर के पदों के वेतनमान से आपसी सापेक्षता प्रभावी होनी दृष्टव्य हुई है। यह प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है, अतः समिति के मतानुसार यह विचारणीय नहीं है।**

**संवर्ग : समूह 'ग' नायब तहसीलदार**

**वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7** के माध्यम सन्दर्भित नायब तहसीलदार संवर्ग के वर्तमान वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 में उच्चीकरण करने के प्रकरण में सचिव राजस्व की संस्तुति प्राप्त हुई है। वेतन उच्चीकरण हेतु यह आधार लिया गया है कि अन्य राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि के नायब तहसीलदार को ग्रेड वेतन 4800/4600 अनुमन्य है। पुनःश्च सचिव राजस्व से प्राप्त विवरणों में नायब तहसीलदार पद का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 किये जाने की संस्तुति की गई है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 अनुसार नायब तहसीलदार के 50 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

के माध्यम सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो पद से क्रमशः तीन वर्ष व पांच वर्ष के सेवा अनुभव पर चालीस व दस प्रतिशत आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। संशोधन नियमावली, 2010 अनुसार यह प्रतिशत क्रमशः 30 प्रतिशत राजस्व निरीक्षक से, दस प्रतिशत रजिस्ट्रार कानूनगो से एवं दस प्रतिशत पंचायत निरीक्षकों (तीन वर्ष के सेवा अनुभव पर) से आयोग माध्यम पदोन्नति हेतु नियत किया गया है। नायब तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु स्नातक उपाधि की अर्हता है। राजस्व अनुभाग–1 से निर्गत शासनादेश संख्या 471, दिनांक 02 अप्रैल, 2011 की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई जिसके अनुसार राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो का वेतन, उच्चीकृत कर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 किया गया है) अन्य पदों के वेतन भी इस शासनादेश द्वारा उच्चीकृत किये गये हैं)। शासनादेश संख्या 370, दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा राजस्व निरीक्षक (मैदानी) का वेतनमान भी 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 से 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकृत किया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में पदोन्नति पद तथा पोषक पद का वेतनमान जो पहले प्रथक थे और प्रोन्नति पर वित्तीय स्तरोन्नयन होता था, के अब समान होकर ग्रेड वेतन 4200 में आ गये हैं।

**समिति का मत है कि यद्यपि अन्य प्रदेशों के वेतन से तुलना/समकक्षता आधार पर राज्य सरकार में किसी पद के वेतन निर्धारित करने का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तथापि पोषक एवं पदोन्नति पद का वेतन समान होने से पूर्व की वेतन व्यवस्था से विचलन/विषमता उत्पन्न होना स्पष्ट होता है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में न्यून वेतनमान मिल जाने की प्रारस्थिति यद्यपि आपत्तिजनक नहीं कही जा सकती क्योंकि उच्च संवर्ग में पदोन्नति होती है और पूर्व पद पर प्राप्त हो रहे वेतन का संरक्षण वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य होता है (जैसा कि पी0सी0एस0 संवर्ग से आई0ए0एस0 संवर्ग में अथवा अन्य राज्य सेवा संवर्ग से अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में प्रोन्नति की दशा में होता है), तथापि इस मामले में पूर्व में पोषक पद का वेतनमान न्यून व प्रोन्नति पद का वेतन उच्च रहा है, अतः नायब तहसीलदार पद के वेतन उच्चीकरण का प्रथम दृष्टया औचित्य प्रतीत होता है। राज्य सरकार परीक्षण करते हुए नायब तहसीलदार का ग्रेड वेतन 4600 करने पर विचार कर सकता है।**

# 33–समाज कल्याण विभाग

## संवर्ग : समाज कल्याण के अन्तर्गत जनजाति कल्याण निदेशालय के तकनीकी संवर्ग एवं शिक्षक

**वित्त विभाग** के पत्र संख्या 216/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 22 सितम्बर, 2016 के क्रमांक 01 पर कार्यशाला अधीक्षक (ग्रेड वेतन 4200) को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 5400, ग्रुप अनुदेशक (ग्रेड वेतन 4200) को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4800, अनुदेशक (ग्रेड वेतन 4200) को उच्चीकृत कर 4600, छात्रावास अधीक्षक/प्रबंधक वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को उच्चीकृत कर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200, अधीक्षक (ग्रेड वेतन 4200) को 4800, सहायक अध्यापक कला वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को उच्चीकृत कर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 तथा अध्यापक एवं मनोवैज्ञानिक (ग्रेड वेतन 4200) को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4600 किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन्हीं प्रकरणों पर विभिन्न सेवा संघों द्वारा भी अपना पक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विभाग से अपेक्षा की गयी थी कि कार्यालय अधीक्षक, ग्रुप अनुदेशक एवं अनुदेशक पद का छठवें केन्द्रीय वेतनमान लागू करते समय अपुनरीक्षित वेतनमान क्या थे, की स्थिति स्पष्ट करें ताकि इस तथ्य की सही जानकारी हो सके कि छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप लागू पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त तीनों पदों का वेतनमान ग्रेड वेतन 4200/–एक समान किन परिस्थिति में हुए हैं। परन्तु विभाग से उक्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त नहीं हुयी। विभाग से यह भी अपेक्षा की गयी की उक्त पदों की शैक्षिक योग्यता,भर्ती की प्रक्रिया यथा लागू सेवा नियमावली भी उपलब्ध करायी जाये, परन्तु इस सम्बन्ध में पुष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

**समिति द्वारा परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि कार्यालय अधीक्षक, ग्रुप अनुदेशक के ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की मांग श्रम विभाग के सवंर्गो से तुलना के आधार पर की जा रही है। अधीक्षक की तुलना विद्यालयी शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य व छात्रावास अधीक्षक की तुलना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के छात्रावास अधीक्षक से करते हुए ग्रेड वेतन उच्चीकृत करने की मांगा की गयी है। समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के उपरान्त इन्टर–से–पैरिटी का सिद्धांत समाप्त हो चुका है। अतः एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती। जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों के शिक्षकों को छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य की वेतन समिति**

(2008)की संस्तुतियों पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान दिनांक 1–1–2006 नोशनल एव दिनांक 1–4–2009 से वास्तविक आधार पर उच्चीकृत करने की संस्तुति वेतन विसंगति समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में दी जा चुकी है, अतः कला अध्यापक एवं अध्यापक मनोवैज्ञानिक हेतु पुनः पृथक से संस्तुति करने का अवसर/औचित्य नहीं है।

**संवर्ग : जिला प्रोबेशन अधिकारी**

वित्त विभाग के पत्र संख्या 185/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 के साथ निदेशक समाज/महिला कल्याण निदेशालय के संलग्न पत्र संख्या 534/दिनांक 11 अगस्त, 2016 के माध्यम से जिला प्रोबेशन अधिकारी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 को उच्चीकृत कर 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 में उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वेतनमान उच्चीकरण का आधार जिला समाज कल्याण अधिकारी के वेतनमान से लिया जा रहा है।

**समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया। समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के उपरान्त इन्टर–से–पैरिटी का सिद्धांत समाप्त हो चुका है। अतः एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती। पंचम वेतन आयोग में प्रश्नगत पद का वेतनमान 6500–10500 था जिसका छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर लागू पुनरीक्षित वेतनमान का संशोधित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 उचित है।**

# 34–अर्थ एवं संख्या विभाग

## संवर्ग : सहायक सांख्यिकी अधिकारी

**अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा संघ** द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं अपर सांख्यिकी अधिकारियों के ग्रेड वेतन क्रमशः 4200 व 4600 से उच्चीकृत कर 4600 व 4800 किये जाने की मांग की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सांख्यिकी संवर्ग के कार्यरत सहायक/अपर सांख्यिकी अधिकारी के छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के उपरान्त पूर्व में उनके समकक्ष अथवा उनसे नीचे के वेतनमान/ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिकों (कनिष्ठ अभियंता, उप निरीक्षक, फार्मासिस्ट, सहायक अध्यापक वेतनमान 4500–7000) का ग्रेड वेतन उच्चीकरण कर दिये जाने से सांख्यिकी सेवा के उक्त कार्मिकों के वेतन में काफी विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड से किये जाने का प्रावधान होने तथा शैक्षिक योग्यता गणित, सांख्यिकीय, वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में परास्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा होने के दृष्टिगत भी वेतन उच्चीकरण पर बल दिया गया है। यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों की कुछ आम श्रेणियों के लिए संशोधित वेतनमान के सम्बन्ध में पूर्व संशोधित वेतनमानों यथा 5000–8000, 5500–9000 के पदों को पी0बी0 2 वेतनमान में अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात 7450–11500 के पूर्व संशोधित वेतनमान के समनुरूप रू0 4600 ग्रेड वेतन में स्तरोन्नयन किया जाना था परन्तु सांख्यकीय संवर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।

**उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं राज्य सरकार द्वारा लागू सिद्धांत के आधार पर एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना मान्य नहीं है। अतः वेतन समिति के मत में यह प्रकरण वेतन विसंगति के अंतर्गत नहीं आता है एवं तदानुसार विचारणीय नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विसंगति समिति के 9वें प्रतिवेदन में अर्थ एवं संख्या विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों जहां सांख्यिकी संवर्ग के पद हैं, वहां उत्तर प्रदेश की भांति दो स्तरीय पद करने यथा अन्वेषक कम संगणक तथा सांख्यकीय सहायक के पदनाम क्रमशः सहायक सांख्यकीय अधिकारी एवं अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी सांख्यकीय करते हुए वेतनमान क्रमशः ग्रेड पे 4200 व 4600 का करने का निर्णय लिया गया है। विभागों में उक्त दोनों पदों का पुनर्गठन करके 60 एवं 40 प्रतिशत पद क्रमशः करने का भी निर्णय लिया गया है। अतः प्रकरण पर पृथक से संस्तुति का अवसर नहीं है।**

## 35–प्राविधिक शिक्षा विभाग

**संवर्ग : जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के विभिन्न संवर्ग**

**संयुक्त कर्मचारी संघ** जी0बी0पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी द्वारा समिति के समक्ष कैशियर पद वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 को सहायक लेखाकार पदनाम वेतनमान (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800) अथवा पद बनाए रखने की दशा में कैशियर पद की वेतन विसंगति दूर कर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 4200 स्वीकृत कराने सम्बन्धी मांग प्रस्तुत की गई है। यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) के माध्यम से सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों के लेखा कर्मचारी वर्ग अंतर्गत कैशियर पद को मृत घोषित करने तथा सहायक लेखाकार पद पर प्रतिपादित करने की संस्तुति हुई है। वर्तमान में कैशियर पद अप्रसांगिक होने और एकीकृत लेखा प्रणाली लागू होने की स्थिति लागू होने का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थानों यथा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर में समान योग्यता एवं कार्यदायित्व का आधार देते हुए ग्रेड वेतन 2000 को 2800 अथवा वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 करने का प्रकरण भी प्रस्तुत किया है। साथ ही तकनीकी संवर्ग के पद यथा तकनीकी सहायक मैकेनिक ग्रेड–ए, जूनियर लैब टैक्निशियन आदि के ग्रेड वेतन 2800 से 4200 में उच्चीकरण की मांग की गई है जिसके सम्बन्ध में संघ द्वारा यह कहा गया है कि समकक्षीय अर्हता वाले जूनियर इंजीनियर का ग्रेड वेतन 4200 है।

**राज्य में एकीकृत लेखा प्रणाली लागू हो जाने के फलस्वरूप कैशियर का पद अप्रसांगिक हो गया है इस कारण राज्य सरकार कैशियर के पद मृत घोषित करके सहायक लेखाकार का पद सृजन पर विचार कर सकती है। कैटालॉगर पद के वेतनमान के सम्बन्ध में उचित होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के पुस्तकालय का वर्गीकरण कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। जहां तक तकनीकी संवर्ग के डिप्लोमाधारी तकनीकी सहायक, मैकेनिक ग्रेड–1 एवं जूनियर लैब टेक्निशियन के वेतनमान उच्चीकरण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समिति इंगित करना चाहती है कि समता समिति द्वारा प्रतापादित व राज्य में लागू सिद्धान्त अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग से तुलना (इन्टर–से–पैरिटी) मान्य नहीं है, अतः इस पर कोई संस्तुति देने का अवसर नहीं है। अवलोकनीय है कि यह वेतन विसंगति का प्रकरण नहीं है। वेतन विसंगति समित के 9 वें प्रतिवेदन में राज्य के विभिन्न विभागों के तकनीशियन संवर्ग के पुनर्गठन के संदर्भ में जो संस्तुति की है, उसके अनुसार भी तकनीशियन सवंर्ग के पुनर्गठन पर कार्यवाही की जा सकती है।**

संवर्ग : कर्मशाला अनुदेशक

**प्राविधिक शिक्षा विभाग से वित्त विभाग** के पत्र संख्या 164/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 02 अगस्त, 2016 के माध्यम राजकीय पाटीटैक्निकों में कार्यरत कर्मशाला अनुदेशकों का ग्रेड वेतन रू0 4200 से रू0 4600 किये जाने का प्रकरण समिति को संदर्भित हुआ है। **प्रदेशीय प्राविधिक शिक्षा अनुदेशक संघ** द्वारा भी तकनीकी शिक्षा के अधीनस्थ राजकीय पॉलीटेक्निकों में कार्यरत कर्मशाला अनुदेशक का वेतनमान 4200 से उच्चीकृत कर 4600 किये जाने की मांग की गई है। संघ द्वारा यह आधार लिया गया है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मशाला अनुदेशकों का ग्रेड वेतन 4200 से उच्चीकृत कर 4600 किया जा चुका है जबकि दोनों पदों की शैक्षिक योग्यता, भर्ती व स्रोत व कार्यदायित्व एक समान है एवं राजकीय पॉलीटेक्निक औद्योगिक प्रशिक्षणों संस्थानों से उच्चतर संस्थान हैं। साथ ही सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं की शैक्षिक योग्यता राजकीय पाटीटैक्निक संस्थानों के कर्मशाला अनुदेशक के समान होने व कनिष्ठ अभियन्ताओं का ग्रेड वेतन रू0 4200 से 4600 उच्चीकृत करने का भी आधार व्यक्त किया गया है।

**समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं राज्य में लागू सिद्धान्त अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना (इन्टर–से–पैरिटी) मान्य नहीं है। समिति के लिए नियत 'संदर्भ की शर्तों' के आलोक में यद्यपि प्रकरण वेतन विसंगति के अंतर्गत आच्छादित नहीं है तथापि किसी पद विशेष के वेतन उच्चीकरण के कई प्रकरणों के कारण एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग से सापेक्षता तथा एक ही संवर्ग में विभिन्न स्तर के पदों की आपसी सापेक्षता प्रभावित होना दृष्टिगत हुआ है। प्रशनगत प्रकरण में ही आई0टी0आई0 के कर्मशाला अनुदेशक का वेतन इससे उच्च संस्था राजकीय पालीटैक्निक के कर्मशाला अनुदेशक से अधिक अनुमन्य किया गया है। प्रस्तुत की गई उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवा नियमावली, 2008 अनुसार कर्मशाला अनुदेशक का वेतनमान 5000–8000 है, अर्थात पंचम वेतनमान में वर्णित पद का वेतनमान 5000–8000 अनुमन्य रहा था जिसके फलस्वरूप छठे वेतनमान में इनका वेतन 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 अनुमन्य हुआ। आई0टी0आई0 अनुदेशक का वेतन उच्चीकरण के क्रम में पालीटैक्निक के अनुदेशकों की मांग को आई0टी0आई0 के अनुदेशक संवर्ग से तुलना के आधार पर नही अपितु रैंक स्टेटस एवं पोजीशन के आधार पर उत्पन्न आपसी भिन्नता की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा प्रकरण के यथोचित निस्तारण की व्यवस्था करने की संस्तुति इस परामर्श के साथ की जाती है कि पोषक पद व उत्तरोत्तर प्रोन्नति के पदों के वेतनमान आदि बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाय।**

## 36–प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा

**संवर्ग : अनदुेशक एवं कार्यदेशक**

**उत्तराखण्ड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ** द्वारा यह मांग की गई है कि कार्यदेशक का ग्रेड वेतन 4200 से उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 5400 कर दिया जाय। यह कहा गया कि छठे वेतन आयोग लागू होने के उपरान्त अनुदेशक एवं कार्यदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक ही ग्रेड वेतन 4200 प्राप्त कर रहे थे। अनुदेशक से सुपरवाइजर/कार्यदेशक के पद पर पदोन्नति की जाती है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 965 दिनांक 23.12.2015 द्वारा अनुदेशक का ग्रेड वेतन 4200 से बढ़ाकर ग्रेड वेतन 4600 कर दिया गया है। चूंकि अनुदेशक से ही कार्यदेशक के पद पर पदोन्नति होती है, जिसका ग्रेड वेतन अभी 4200 ही है, अतः इसे बढ़ाकर 5400 कर दिया जाय।

**निम्न पद के उच्च ग्रेड वेतन से उच्च पद के निम्न ग्रेड वेतन पर पदोन्नति के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति के अंतर्गत विचारणीय प्रतीत होता है। यद्यपि विभाग/संस्थाएं एक ही है परन्तु अनुदेशक का संवर्ग व सेवा नियमावली तथा कार्यदेशक का संवर्ग व नियमावली पृथक–पृथक हैं। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रोन्नति से नियुक्ति में पूर्व पद के वेतनमान से उच्चीकृत वेतनमान स्वीकृत/अनुमन्य होने की बाध्यता नहीं होती बल्कि व्यक्तिगत रूप से वेतन संरक्षण लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। बहुत से बहुत कार्यदेशक को अनुदेशक को अनुमन्य किये गये ग्रेड वेतन 4600 के बाराबर ग्रेड वेतन अनुमन्य करने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।**

## 37–पर्यटन विभाग

**संवर्ग : विद्युत सहायक**

**उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–7 से जारी पत्र संख्या 185/दिनांक 26 अगस्त, 2016 एवं उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ** द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया है कि पर्यटन निदेशालय के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून में कार्यरत विद्युत सहायक जिनकी शैक्षिक योग्यता 03 वर्षीय डिप्लोमा है, उनको वर्तमान में ग्रेड वेतन 2000 ही अनुमन्य किया जा रहा है। उनका कथन है कि शासन द्वारा राज्य सरकार के विभागों/निगमों में कनिष्ठ अभियंता का ग्रेड वेतन 4200 से उच्चीकृत कर 4600 कर दिया गया है। समान शैक्षिक योग्यता होने के उपरान्त भी विद्युत सहायकों को ग्रेड वेतन 2000 ही अनुमन्य किया जा रहा है।

**समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि पूर्व से ही विद्युत सहायक का वेतनमान कनिष्ठ अभियंता के समान नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त इनकी भर्ती का स्रोत विभागीय चयन समिति के माध्यम से है जबकि कनिष्ठ अभियंता की भर्ती का स्रोत लोक सेवा आयोग के माध्यम से है। समता समिति के सिद्धांतों के अनुरूप एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धांत मान्य/लागू नहीं है। ऐसी परिस्थिति में समिति का मत है कि यह प्रकरण विचारणीय नहीं है। इसके साथ ही इस पद को मृत संवर्ग घोषित कर आगे उपकरणों की ए0एम0सी0/मार्केट/वाह्य स्रोत से कार्य की आउटसोर्सिंग अथवा कार्य कराने की व्यवस्था अपनाई जा सकती है।**

## 38– परिवहन विभाग /परिवहन निगम

**संवर्ग : लिपिक/उपाधिकारी संवर्ग**

**रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड** द्वारा निगम के उक्त संवर्गों के अधीन कतिपय पदों की वेतन विसंगति दूर करने हेतु अपना प्रत्यावेदन दिया गया तथा पक्ष रखा गया। समान वेतन के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप भी वित्तीय लाभ न मिल पाने की स्थिति इंगित की गई है।

लिपिक संवर्ग अंतर्गत कार्यालय सहायक द्वितीय तथा कार्यालय सहायक प्रथम दोनों का ग्रेड वेतन रू0 2400 होना कहा है जबकि कार्यालय सहायक प्रथम पद में कार्यालय सहायक द्वितीय पद से 100 प्रतिशत पदोन्नति से भर्ती होना बताया गया। प्रधान लिपिक का पद ग्रेड वेतन 2800 में बताया तथा इस पर नियुक्ति कार्यालय सहायक प्रथम पद से होने की व्यवस्था इंगित की है और इस स्थिति के आलोक में अग्रेत्तर कार्यालय अधीक्षक पद ग्रेड वेतन 4200 को 4600 में उच्चीकृत करने का सुझाव दिया गया है। वार्ता के दौरान संयुक्त परिषद द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सीधी भर्ती परिचालक (कन्डक्टर) पद पर होती है जहां से एक ओर कार्यालय सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक प्रथम, प्रधान लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक पदों पर स्तरोन्नयन होता है तो दूसरी ओर कन्डक्टर से जूनियर बुकिंग क्लार्क, सीनियर बुकिंग क्लर्क, जूनियर स्टेशन इन्चार्ज एवं सीनियर स्टेशन इन्चार्ज–पद पर स्तरोन्नयन होना बताया है। जूनियर बुकिंग क्लर्क व सीनियर बुकिंग क्लर्क दोनों का ग्रेड वेतन 2400 तथा जूनियर व सीनियर स्टेशन इंचार्ज दोनों का ग्रेड वेतन 2800 होना बताया है। कनिष्ठ केंद्र प्रभारी/यातायात निरीक्षक ग्रेड वेतन 2800 पद पर 36 प्रतिशत सीधी भर्ती व 64 पद वरिष्ठ लिपिक के पद से प्रोन्नति की व्यवस्था बताई गई है। जबकि वरिष्ठ केंद्र प्रभारी ग्रेड वेतन 2800 पद पर कनिष्ठ लिपिक/यातायात निरीक्षक से शत प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था होना इंगित किया है। कनिष्ठ लिपिक/सहायक यातायात निरीक्षक पद ग्रेड वेतन 2400 में नियुक्ति परिचालक से 100 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था व वरिष्ठ लिपिक पद ग्रेड वेतन 2400 में नियुक्ति कनिष्ठ केंद्र प्रभारी/यातायात निरीक्षक से शत प्रतिशत होना बताया है। सुझाव दिया गया है कि वरिष्ठ केंद्र प्रभारी का ग्रेड वेतन 4200 व यातायात अधीक्षक का 4200 से 4600 किया जा सकता है। साथ ही केंद्र प्रभारी का ग्रेड वेतन 4200, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी का 4600 व यातायात अधीक्षक का ग्रेड वेतन 4800 करने का भी सुझाव दिया गया है। कनिष्ठ केंद्र प्रभारी (ग्रेड वेतन 2800) का पद वरिष्ठ लिपिक (ग्रेड वेतन 2800) के पद से प्रोन्नत कर भरे जाने की व्यवस्था बताते हुए यहां भी प्रोन्नति के फलस्वरूप वित्तीय लाभ नहीं होने की स्थिति इंगित की है और इस आधार पर कनिष्ठ केंद्र प्रभारी का ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकृत करने व तद्क्रम में

वरिष्ठ केंद्र प्रभारी को ग्रेड वेतन 4600 तथा यातायात अधीक्षक को ग्रेड वेतन 4800 में उच्चीकृत करने का सुझाव दिया गया है।

उपाधिकारी संवर्ग अंतर्गत भी इसी तरह चालक प्रशिक्षक तथा वरिष्ठ चालक प्रशिक्षक दोनों का ग्रेड वेतन 2800 होना एवं इनकी नियुक्ति क्रमशः चालक संवर्ग से तथा वरिष्ठ चालक प्रशिक्षक की चालक प्रशिक्षक से प्रोन्नति होने की व्यवस्था इंगित करते हुए प्रोन्नति के फलस्वरूप वित्तीय लाभ न मिलने की स्थिति/विसंगति बताई गई है। इसी प्रकार सीनियर फोरमैन ग्रेड–2 व सीनियर फोरमैन ग्रेड–1 दोनों का ग्रेड वेतन 4200 होना कहा है और सीनियर फोरमैन ग्रेड–1 पद पर 100 प्रतिशत सीनियर फोरमैन ग्रेड–2 से पदोन्नति होना इंगित किया है। इस प्रकार यहां भी दो पदों, जिसमें एक पद दूसरे पद से पदोन्नति का है, के ग्रेड वेतन समान होना इंगित किया है। मैकेनिक/मैकेनिक बॉडी/टायर निरीक्षक/विद्युतकार का पद ग्रेड वेतन 2800 में होना कहा है। इस पद से 100 प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाने वाले जूनियर फोरमैन का ग्रेड वेतन भी 2800 होना कहा है। जूनियर फोरमैन का वेतन उच्चीकरण 4200 में करने व इस पद से आगे प्रोन्नति द्वारा भरा जाने वाला पद सीनियर फोरमैन ग्रेड–2 एवं सीनियर फोरमैन ग्रेड–1 के वेतनमान/ग्रेड वेतन भी तद्क्रम में ग्रेड वेतन क्रमशः 4600 व 4800 करने का सुझाव दिया गया है।

**चूंकि प्रकरण के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग का मत प्राप्त नहीं है तथा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं व विवरण भी उपलब्ध नहीं है परन्तु चूंकि दो स्तर के पदों में एक से दूसरे पद पर पदोन्नति की व्यवस्था होना इंगित किया गया है और वेतन समान होना इंगित किया गया है, अतः सभी पहलुओं एवं अन्य होने वाले प्रभावों (Implications) पर परीक्षण करते हुए इन प्रकरणों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर यथोचित प्रशासकीय/नीतिगत निर्णय लिया जाना उचित होगा।**

**संवर्ग : जूनियर फोरमैन (मैके0/इलैक्ट्रीकल्स)**

**वित्त विभाग** के माध्यम उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत जूनियर फोरमैन (मैके0/इलैक्ट्रीकल्स) वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को कनिष्ठ अभियन्ता के समान वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किये जाने की मांग का प्रकरण संदर्भित हुआ है। उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा कहा गया है कि इन कार्मिकों की शैक्षिक योग्यता विद्युत/यांत्रिक अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा है और राज्य सरकार में विभागों व निगमों में कनिष्ठ अभियंताओं की शैक्षिक योग्यता भी अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा है। कनिष्ठ अभियन्ताओं का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 होने एवं इन कार्मिकों का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 होने की स्थिति इंगित करते हुए महासंघ द्वारा कहा है कि पांचवे वेतन आयोग से पूर्व इन कार्मिकों का वेतनमान कनिष्ठ अभियंताओं के समान ही था और

कि पांचवे वेतन आयोग से परिवहन निगम के इन तकनीकी पदों पर कार्यरत डिप्लोमा धारक कार्मिकों का वेतनमान राज्य सरकार की भांति 5000–8000 पुनरीक्षित नहीं किया गया जिस कारण कनिष्ठ अभियन्ताओं व इन कार्मिकों के वेतन/ग्रेड वेतन में भिन्नता हो गई है जिसे महासंघ द्वारा वेतन विसंगति कहा है।

**उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना/समकक्षता का सिद्धान्त समता समिति द्वारा प्रतिपादित व राज्य में लागू व्यवस्थान्तर्गत मान्य नहीं है। शैक्षिक योग्यता समान होने के आधार पर वेतनमान/वेतन समान होने का भी कोई सिद्धान्त नहीं है। इस प्रकरण में पांचवे वेतनमानों के समय ही इन दोनों भिन्न पदों के मध्य वेतन में अंतर होने की स्थिति इंगित की गई है और समिति को पिछले वेतनमानों की भिन्नताओं के प्रकरणों पर विचार करने की व्यवस्था समिति के 'संदर्भ की शर्तों' अनुसार नहीं होने से भी समिति इस प्रकरण को विचारणीय नहीं समझती है। उपाधिकारी संवर्ग के सम्बन्ध में पोषक पद व पदोन्नति के (मैकेनिक आदि से जूनियर फोरमैन पद पर पदोन्नति की व्यवस्था इंगित की गई है) पद का वेतन समान होने के आधार पर वेतन उच्चीकरण किये जाने सम्बन्धी रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार कर संस्तुति की जा चुकी है।**

**संवर्ग : प्राविधिक सेवा संवर्ग**

**वित्त विभाग (वे0आ0–सा0नि0)** अनुभाग–7 के माध्यम सन्दर्भित इस प्रकरण में सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)/सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) दोनों पदों की समान योग्यताएं एवं समान भर्ती स्रोत इंगित करते हुए कनिष्ठ अभियन्ता पद के स्तर का पद बताकर ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में उच्चीकृत करने की अपेक्षा की गई है। विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार सम्भागीय निरीक्षक के 4 व सहायक सम्भागीय निरीक्षक के 18 पद सृजित बताए गये तथा शैक्षिक योग्यता आटोमाबाइल इंजीनियरिंग अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा होना कहा है। छठे वेतन से पूर्व इन पदों का वेतनमान क्रमशः 6500–10500 एवं 5000–8000 होना और छठे वेतन उपरान्त दोनों पद वेतनबैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में रखा जाना इंगित किया गया है। राजकीय विभागों में कनिष्ठ अभियनता पद का ग्रेड वेतन 4200 से 4600 (शासनादेश दिनांक 6.6.2013 द्वारा) कर दिये जाने के क्रम में इनका भी ग्रेड वेतन 4600 किये जाने की मांग है। उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्राविधिक सेवा संघ द्वारा इंगित किया गया है कि उ0प्र0 में दोनों पदों को संविलियन (Merge) कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 18.3.2011 की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 2009 अनुसार सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) व सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) दोनों पद ग्रेड वेतन 4200 वेतन बैण्ड 9300–34800 में है तथा इसमें पद संख्या क्रमशः 04 व 15 है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक का पद शत प्रतिशत सीधी

भर्ती का सम्भागीय निरीक्षक पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत सहायक सम्भागीय निरीक्षक से प्रोन्नति की व्यवस्था है। अर्हता में सम्भागीय निरीक्षक हेतु पांच वर्ष का अनुभव तथा सहायक सम्भागीय निरीक्षक हेतु तीन वर्ष का अनुभव है यद्यपि शेष शैक्षिक अर्हता समान है।

**उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना/समतुल्यता का सिद्धान्त समता समिति द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था अनुरूप मान्य नहीं है, अतः कनिष्ठ अभियंता पद से तुलना के आधार पर वेतन उच्चीकरण का प्रकरण विचारणीय नहीं है। जहां तक दोनों पदों के संवीलियन का बिन्दु है वह इस समिति के 'संदर्भ की शर्तों' में इंगित नहीं है तथा यह बिन्दु प्रशासकीय नीति विषयक एवं पदो के पुनर्गठन का है। अतः राज्य सरकार सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)/सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों को उत्तर प्रदेश की भॉति संविलियन करने पर सेवा नियमावली में संशोधन पर विचार कर सकती है। राज्य में 6500–10500 वाले अपुनरिक्षित वेतनमान वाले पदों का छठे वेतनमान में ग्रेड वेतन 4200 के स्थान पर 4600 कर दिये जाने के सामान्य शासनादेश दिनांक 12 मार्च 2010/13 अप्रैल, 2012 वित्त विभाग से निर्गत हुए हैं जिस क्रम में यथा प्रक्रिया विभिन्न मामलों के लिए शासनादेश निर्गत किये जाने थे। अतः सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद के अपुनरीक्षित वेतनमान 6599–10500 को पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 4600 करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही पूर्ण की जानी अपेक्षित है।**

**संवर्ग : परिवहन कर अधिकारी–2**

**राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड** एवं परिवहन कर अधिकारी संगठन द्वारा परिवहन कर अधिकारी–2 जिसका ग्रेड–पे 4200 है, को ग्रेड पे 4600 की मांग की गई है। परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली–1980 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के नियम–5 में भर्ती का स्रोत 50 प्रतिशत सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से एवं 50 प्रतिशत पद पदोन्नत द्वारा भरे जाने का प्रावधान है तथा इंगित है कि पदोन्नति से सम्बन्धित पदों को निम्न प्रकार घृत किया जायेगा :

| | | |
|---|---|---|
| (क) | अनुभाग अधिकारी और उपलेखक – प्रालेखक | 15 प्रतिशत |
| (ख) | परिवहन आयुक्त कार्यालय के आशुलेखक – | 07 प्रतिशत |
| (ग) | प्रधान लिपिक और प्रधान लिपिक सहलेखाकार | 14 प्रतिशत |
| (घ) | सम्भागीय कार्यालय के आशुलेखक | 14 प्रतिशत |

मिनिस्ट्रियल संवर्ग के प्रधान सहायकों से पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 4600 एवं परिवहन कर अधिकारी–2 ग्रेड पे 4200 में होता है। परिवहन कर अधिकारी–1

जिसका ग्रेड वेतन 4600 है, के पद पर भी 50 प्रतिशत सीधी भर्ती आयोग द्वारा तथा 50 प्रतिशत परिवहन कर अधिकारी–2 से भरे जाते हैं।

परिवहन कर अधिकारी–2 की शैक्षिक योग्यता सीधी भर्ती हेतु स्नातक है। संगठन द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेख किया है कि अन्य विभागों में कार्यरत समान अथवा निम्न पदीय सोपान वाले कार्मिकों से भी ये संवर्ग कम ग्रेड वेतन आहरण कर रहा है यथा आबकारी निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक आदि जो पहले छठे वेतन आयोग से पूर्व परिवहन कर अधिकारी–2 से कम वेतन आहरण करते थे जबकि वर्तमान समय में उपरोक्त समस्त पदों का ग्रेड वेतन 4600 हो गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि वाणिज्य कर विभाग में भी पूर्व प्रचलित वाणिज्य कर अधिकारी–1 व वाणिज्य कर अधिकारी–2 का संविलियन कर वाणिज्य कर अधिकारी पदनाम किया गया है। उत्तर प्रदेश कराधान नियमावली में पूर्व प्रचलित पदनाम परिवहन कर अधिकारी–1 व परिवहन कर अधिकारी–2 का भी संविलियन कर दिया गया है। जैसा कि अवगत कराया गया कि परिवहन कर अधिकारी–2 के 18 पद सृजित है जिसके सापेक्ष 7 कार्मिक कार्यरत हैं एवं परिवहन कर अधिकारी–1 के 04 पद सृजित है जिसमें से 01 पद भरा हुआ है। वार्ता के दौरान संगठन द्वारा यह भी कहा गया कि कनिष्ठ अभियंताओं का ग्रेड पे 4200 से उच्चीकृत कर 4600 कर दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवहन कर अधिकारी–2 का ग्रेड वेतन 4200 से उच्चीकृत कर 4600 एवं परिवहन कर अधिकारी–1 का वेतन 4600 से उच्चीकृत कर 4800 कर दिया जाय।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वेतन समिति का मत है कि समता समिति के सिद्धांत के आधार पर एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती तथा एक संवर्ग से पदोन्नत होने पर पदोन्नति के कर्मी को यह विकल्प होता है कि वह अपने संवर्ग में उच्च ग्रेड पे पर जाय अथवा अन्य संवर्ग के पदोन्नत पद पर जाय भले ही उसका ग्रेड वेतन समान अथवा न्यून क्यों न हो। अतः उक्त प्रकरण वेतन विसंगति का प्रतीत नहीं होता है। **राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर अधिकारी–2 एवं परिवहन कर अधिकारी–1 के पदों को उत्तर प्रदेश की भांति संविलियन करने पर सेवा नियमावली में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।**

**संवर्ग : प्रवर्तन कर्मचारी**

**प्रवर्तन कर्मचारी संगठन, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड** द्वारा परिवहन विभाग में कार्यरत प्रवर्तन सिपाहियों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिनांक 12.09.2016 दिया गया है जिसमे कहा गया है कि अन्य वर्दीधारी कर्मचारियों की भॉति प्रवर्तन सिपाहियों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है एवं पद सीधी भर्ती का है। यह भी कहा है कि प्रवर्तन सिपाहियों का विभाग में प्रवर्तन पर्यवेक्षक के बाद कोई पदोन्नति का पद नहीं है। इस आधार पर अन्य विभागों मे कार्यरत वर्दीधारी कर्मचारियों की भॉति परविहन कर अधिकारी–द्वितीय ग्रेड वेतन रू0 4200 एवं परिवहन कर अधिकारी प्रथम ग्रेड वेतन 4600 के पद की संस्तुति करने की प्रार्थना की गई है।

मांग में इंगित बिन्दु न तो स्पष्ट है और न कोई विवरण दिया गया है। राज्य सरकार का भी कोई मन्तव्य नहीं है। यह मांग प्रोन्नति हेतु नये पदों की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रतीत होती है जो समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं है, अतः प्रकरण विचारणीय नही है।

## 39–पेयजल

### संवर्ग : पेयजल निगम फील्ड कर्मचारी

जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन उत्तरांचल प्रदेश द्वारा संशोधित वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 एवं 1800 में नियुक्त पदधारकों (वर्क सुपरवाइजर, वर्क एजेन्ट, फीटर, इलैक्ट्रीशियल, मैकेनिक, सहायक ड्रिलर, ओ0पी0 यूनिट ड्राइवर, मेट इत्यादि) को लोक निर्माण विभाग की भांति उच्चीकृत वेतन अनुसार लाभ देने की मांग की गई है। लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 14, दिनांक 01 फरवरी, 2016 व संख्या 2541, दिनांक 12 फरवरी, 2014 की उपलब्ध कराई गई छायाप्रतियों अनुसार लो.नि.वि. में कतिपय इस श्रेणी के पदों का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चीकृत किये जाने की स्थिति स्पष्ट इंगित हुई है। **इस प्रकार यह प्रकरण एक विभाग में किन्हीं पदों का वेतन/ग्रेड वेतन उच्चीकृत करने के क्रम में दूसरे विभाग/संस्था में कतिपय पदों का वेतन/ग्रेड वेतन समकक्ष पद होने के आधार पर उच्चीकृत करने की मांग का प्रतीत है। तदानुसार यह वेतन विसंगति के बजाय वेतन उच्चीकरण विषयक प्रकरण है। समता समिति के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार राज्य में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना मान्य नहीं है। अतः प्रकरण समिति द्वारा विचारणीय नहीं है।**

### संवर्ग : लेखा संवर्ग (उत्तराखण्ड, पेयजल निगम)

**वित्त (वे0आ0–सा0नि0)** अनुभाग–7 के माध्यम पेयजल विभाग से उत्तराखण्ड पेयजल निगम के मण्डलीय लेखाकार के पद के वेतन विसंगति का प्रकरण संदर्भित किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर दी गई सूचना अनुसार मण्डलीय लेखाकार का षष्ठम वेतनमान अनुसार रू0 5500–9000 को वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 इंगित किया गया है तथा भर्ती स्रोत 75 प्रतिशत पदोन्नति व 25 प्रतिशत सीधी भर्ती, शैक्षिक योग्यता (सीधी भर्ती हेतु) बी0कॉम एकाउण्टेंसी होना इंगित किया है। यह कहा है कि उ0प्र0 जल निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 969 दिनांक 22.6.2011 के द्वारा मिनिस्टीरियल केडर में पंचम वेतनमान में रू0 6375–9000 ग्रेड वेतन 4200 को उच्चीकृत करते हुए वेतनमान 6500–10500 ग्रेड वेतन 4600 दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत किया गया है। उसी के अनुरूप उत्तराखण्ड पेयजल निगम के मण्डलीय लेखाकार का वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

**यह प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है बल्कि वेतन उच्चीकरण का है। उ0प्र0 पेयजल निगम में मिनिस्टीरियल संवर्ग के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप के आधार पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम के मण्डलीय लेखाकार पद का वेतन उच्चीकरण करने का आधार नहीं बनता है क्योंकि अन्य संवर्ग व प्रदेशों से तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है। कदाचित राज्य के अन्य विभागों में भी लेखाकार का पद ग्रेड वेतन 4200 में ही हैं। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है।**

**संवर्ग : उत्तराखण्ड जल संस्थान के मीटर रीडर, आई0टी0आई0 पदधारक जूनियर फिटर/फिटर**

**उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड प्रदेश** द्वारा मीटर रीडर तथा आई0टी0आई0 पदधारक जूनियर फिटर/फिटर संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने हेतु मांग की गई है। उनके कथनानुसार मीटर रीडर व कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान समान रहे हैं परन्तु कनिष्ठ लिपिक को दिनांक 01.01.2013 से ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर 2000 किये जाने पर मीटर रीडर संवर्ग की वेतन विसंगति हुई है। इसी सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि कनिष्ठ लिपिक को ए0सी0पी0 अंतर्गत प्रथम ए0सी0पी0 में ग्रेड वेतन 2800, द्वितीय ए0सी0पी0 में रू0 4200 व तृतीय ए0सी0पी0 में 4800 ग्रेड वेतन प्राप्त होता है जबकि मीटर रीडर को प्रथम ए0सी0पी0 में 2400, द्वितीय ए0सी0पी0 में 2800 व तृतीय ए0सी0पी0 में रू0 4200 ग्रेड वेतन ही प्राप्त है/होगा। इस आधार पर मीटर रीडर का ग्रेड वेतन 2000 अनुमन्य करने की मांग की है। इस सम्बन्ध में मीटर रीडर व कनिष्ठ लिपिक के विभिन्न वेतन आयोग अवधि में वेतनमान की तुलना निम्नानुसार दी गई है:–

| वेतनमान विवरण | मीटर रीडर | कनिष्ठ लिपिक |
|---|---|---|
| चतुर्थ वेतनमान | 950–1500 | 950–1500 |
| पंचम वेतनमान | 3050–4590 | 3050–4590 |
| छठा वेतनमान | 5200–20200<br>ग्रेड वेतन 1900 | 5200–20200<br>ग्रेड वेतन 1900 |
| शासनादेश संख्या 373 दिनांक 16.1.2013 से संशोधित | 5200–20200<br>ग्रेड वेतन 1900 (पूर्ववत) | 5200–20200<br>ग्रेड वेतन 2000 |

इसी प्रकार की स्थिति उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा नियमावली, 2004 अनुसार आई0टी0आई0 पदधारकों जूनियर फिटर/फिटर को 3050–4590 का वेतनक्रम अनुमन्य होते हुए पम्प चालक संवर्ग के अलावा शेष को इसका लाभ नहीं दिये जाने की स्थिति बताते हुए वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा नियमावली, 2004 की उपलब्ध कराई गई प्रति अनुसार भविष्य में आई0टी0आई0 धारकों को रू0 3050–4590 का वेतनमान अनुमन्य होने की टिप्पणी नियमावली में उल्लिखित है।

**उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है, अतः कनिष्ठ लिपिक के आधार पर मीटर रीडर के वेतन उच्चीकरण की मांग समिति के मतानुसार विचारणीय नहीं है। आई0टी0आई0 पदधारकों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि सेवा नियमावली में की गई टिप्पणी कि 'भविष्य में आई0टी0आई0 धारकों को रू0 3050–4590 का वेतनमान अनुमन्य होगा' के आधार पर यह मांग की गई है। इस सम्बन्ध में भी समिति द्वारा किसी टिप्पणी अथवा संस्तुति नहीं की जा सकती क्योंकि यह वेतन विसंगति का प्रकरण नहीं है। वार्ता के दौरान यह इंगित किया गया**

है कि फिटर व हैड फिटर प्रोन्नति के पद (जूनियर फिटर से) हैं और पहले इनके वेतन में भिन्नता थी। इस सम्बन्ध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं है, तथापि यदि ऐसी स्थिति है तो समस्त पहलुओं व अन्य पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में सम्यक परीक्षणोपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसका निराकरण कर प्रोन्नति पद का वेतन उच्च रखने की कार्यवाही की जा सकती है। वार्ता के दौरान पेयजल निगम में फिटर का ग्रेड वेतन 1800 तथा जल संस्थान में 2000 होने की स्थिति इंगित की गई। इस सम्बन्ध में भी कोई विवरण प्रस्तुत नहीं है जिस कारण समिति विचारण नहीं कर सकती।

## 40–विधानसभा सचिवालय

**वित्त विभाग** के पत्र संख्या 216/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 22 सितम्बर, 2016 के क्रमांक 2 पर विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड में विभिन्न पदों के ग्रेड वेतन के उच्चीकरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

**संवर्ग : सुरक्षा संवर्ग–मार्शल**

उत्तराखण्ड विधानसभा में सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत मार्शल का पद वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 में सृजित है जिस पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत विधानसभा सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप मार्शल के पदधारकों में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत द्वारा भरा जायेगा। सचिव विधानसभा द्वारा प्रेषित पत्र में यह मांग की गई है कि विधानसभा सचिवालय में मार्शल का एक पद ग्रेड पे 5400 में तथा उप मार्शल के दो पद ग्रेड पे 4800 में सृजित हैं। उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011 के भाग–7 नियम 25 (01)(ख) में वर्णित प्रावधान के अनुसार डिप्टी मार्शल पद की समकक्षता अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव से होने के फलस्वरूप डिप्टी मार्शल का वेतनमान भी अनुभाग अधिकारी के समान डिप्टी मार्शल के सचिवालय भत्ते के रू0 600 के अंश को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करते हुए रू0 5400 अनुमन्य किया गया है।

जहां तक उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली 2011 के नियम–25(1)(ख) का उल्लेख किया गया है जिसमें डिप्टी मार्शल के पद को अनुभाग अधिकारी के समतुल्य वेतनमान दिया जाना है, के क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि 2011 में सेवा नियमावली प्रख्यापित होने के पश्चात विधानसभा सचिवालय उत्तराखण्ड के अधिष्ठान अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 728/वि0स0/03/अधि0/2000 दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा अनुभाग अधिकारी के 03 पद ग्रेड वेतन 4800 में तथा डिप्टी मार्शल का 01 पद ग्रेड वेतन 4600 में सृजित किये गये हैं जबकि नियमावली के उपरोक्त नियम के तहत दोनों का ग्रेड वेतन समान होना चाहिए था।

**विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी का ग्रेड वेतन 6600 है जबकि उत्तराखण्ड सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी का ग्रेड वेतन 5400 है। सामान्यतः उत्तराखण्ड सचिवालय एवं विधानसभा सचिवालय के पदों की आपस में पैरिटी होती है। डिप्टी मार्शल के पद पर अनुमन्य सचिवालय भत्ता रू0 600 को इस पद के वास्तविक ग्रेड वेतन 4800 में जोड़कर ग्रेड वेतन 5400 में परिवर्तित किया गया है। मार्शल के पद पर भी सचिवालय भत्ता अनुमन्य होगा। यदि मार्शल के पद का ग्रेड वेतन 6600 उच्चीकृत किया जाता है तब उनकी मांग के अनुसार सुरक्षा अधिकारी का ग्रेड वेतन 6600 से उच्चीकृत कर 7600 किये जाने का प्रकरण आ सकता है जबकि उत्तराखण्ड सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी का ग्रेड वेतन 5400 ही है। इस प्रकार दोनों संवर्गो में काफी असमानता उत्पन्न हो जायेगी। वस्तुतः प्रकरण मार्शल पद के ग्रेड वेतन एवं डिप्टी मार्शल के पद के वास्तविक ग्रेड वेतन एक समान होने जाने से उत्पन्न स्थिति में वेतन विंसगति का नहीं अपितु डिप्टी मार्शल को अनुमन्य विधान सभा सचिवाालय भत्ते से रू0 600 कम करके डिप्टी मार्शल के पद हेतु वास्तविक रूप से निर्धारित ग्रेड पे 4800 में जोड़ कर ग्रेड पे 5400 में परिवर्तित किये जाने कारण होना प्रतीत हो रहा है। अतः प्रकरण वेतन विंसगति का न होने के कारण विचारणीय नहीं है।**

**संवर्ग : व्यवस्थाधिकारी**

विधानसभा सचिवालय में व्यवस्थाधिकारी का 01 पद वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 में सृजित बताया गया है जबकि उत्तराखण्ड सरकार बजट खण्ड–6 जिसमें राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का विवरण दिया गया है, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार विधान सभा सचिवालय में व्यवस्थाधिकारी के 01 पद का वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 इंगित है। **अतः मांगानुसार व्यवस्थाधिकारी का ग्रेड वेतन 4800 को उच्चीकृत कर 5400 किया जाय, विचारणीय नहीं है।**

**संवर्ग : पुस्तकालयाध्यक्ष**

विधानसभा सचिवालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का 01 पद वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 में सृजित है। इस पद का ग्रेड वेतन उत्तराखण्ड सचिवालय के पुस्तकालय में सृजित प्रलेखीकरण अधिकारी सह पुस्तकालयाध्यक्ष को अनुमन्य ग्रेड वेतन 6600 के समान किये जाने का अनुरोध किया है।

**उत्तराखण्ड सचिवालय एवं विधानसभा सचिवालय में सृजित पदों के वेतनमान की पैरिटी स्थापित है। प्रस्तुत प्रकरण में विधानसभा सचिवालय में पदनाम पुस्तकालयाध्यक्ष का है जबकि उत्तराखण्ड सचिवालय में पदनाम प्रलेखीकरण अधिकारी सह पुस्तकालयाध्यक्ष है। यह अंतर पूर्व से ही चला आ रहा है और दोनों पदों की परस्पर पैरिटी की पुष्टि में न तो औचित्य स्पष्ट है और न ही कोई पुष्ट अभिलेखीय साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है।**

**संवर्ग : उप पुस्तकालयाध्यक्ष**

विधानसभा सचिवालय में उप पुस्तकालयाध्यक्ष का 01 पद वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 में सृजित बताया गया है जबकि उत्तराखण्ड सरकार बजट खण्ड–6 जिसमें राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का विवरण दिया गया है, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार उप पुस्तकालयाध्यक्ष के 01 पद का वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 इंगित है। **अतः पद के ग्रेड वेतन की वास्तविक प्रास्थिति की स्पष्टता के अभाव में समिति की संस्तुति सम्भव नहीं है।**

**संवर्ग : सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष**

विधानसभा सचिवालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का 01 पद वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में सृजित बताया गया है जबकि उत्तराखण्ड सरकार बजट खण्ड–6 जिसमें राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का विवरण दिया गया है, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के 01 पद का वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 इंगित है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का ग्रेड वेतन 2800 से किसी शासनादेश द्वारा ग्रेड वेतन 4200 उच्चीकृत किया जा चुका है। शासनादेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है न ही सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद की समानता सचिवालय के समीक्षाधिकारी से होने, का कोई पुष्ट अभिलेखीय साक्ष्य ही उपलब्ध है। **अतः इस पद के ग्रेड वेतन को उच्चीकृत किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण विचारणीय नहीं है।**

**संवर्ग : सूचीकार**

विधानसभा सचिवालय में सूचीकार के 03 पद वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 में सृजित हैं। विभाग द्वारा ग्रेड वेतन 2800 को उच्चीकृत कर सहायक समीक्षा अधिकारी को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन 4600 के समान किये जाने की मांग की गई है जिसका आधार यह दिया गया है कि छठे वेतनमान से पूर्व दोनों के वेतनमान समान थे।

**प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण की मांग का है। समता समित के प्रतिपादित सिद्धान्त में जहॉ संवर्गों में परस्पर सापेक्षता/समतुल्यता अथवा पैरिटी स्थापित नहीं है वहॉ उन सवंर्गो के वेतनमानों में आपसी समतुल्यता एवं पैरिटी का सिद्धान्त मान्य नहीं है।**

**संवर्ग : फोटोग्राफर**

विधानसभा सचिवालय में फोटोग्राफर का 01 पद वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 में सृजित है। विभाग द्वारा इसका ग्रेड वेतन 1900 से उच्चीकृत कर सूचना एवं जन संपर्क विभाग में सृजित पद फोटोग्राफर को अनुमन्य ग्रेड वेतन 4200 किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण की मांग का है। समता समित के प्रतिपादित सिद्धान्त में राज्य सरकार में इन्टर से पैरिटी का सिद्धान्त मान्य नहीं है। प्रकरण वेतनमान उच्चीकरण से सम्बन्धित है, जो समिति के विचार क्षेत्र में नहीं है। भविष्य में विधानसभा सचिवालय में सृजित फोटोग्राफर के 01 पद को मृत संवर्ग मानते हुए सूचना विभाग से प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का विचार किया जाना उचित होगा।**